

आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

मांग संख्या 56

आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	850.00	5.00	855.00	670.00	6.89	676.89	850.00	7.97	857.97	
पुंजी	...	1.50	1.50	
जोड़	850.00	6.50	856.50	670.00	6.89	676.89	850.00	7.97	857.97	
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052	1.60	2.69	4.29	0.60	4.08	4.68	1.00	4.00	5.00
जलापूर्ति और सफाई										
2. कम लागत वाले सफाई कार्यक्रम	2215	1.50	...	1.50	0.90	...	0.90	1.00	...	1.00
	2552	15.00	...	15.00	4.00	...	4.00	5.00	...	5.00
	3601	131.00	...	131.00	35.03	...	35.03	53.00	...	53.00
	3602	2.50	...	2.50	0.10	...	0.10	1.00	...	1.00
जोड़	150.00	...	150.00	40.03	...	40.03	60.00	...	60.00	
आवास										
3. राष्ट्रीय भवन संगठन	2216	10.00	1.75	11.75	10.00	2.25	12.25	15.00	3.01	18.01
4. अन्य आवासीय योजनाएं	2216	7.40	0.56	7.96	8.06	0.56	8.62	7.40	0.96	8.36
5. निर्माण केन्द्र स्कीमें	2216	1.00	...	1.00	0.01	...	0.01	1.00	...	1.00
6. शहरी गरीबों के लिए आवास हेतु ब्याज सब्सिडी स्कीमें (आईएसएसएचयू)	2216	95.00	...	95.00	30.00	...	30.00	180.59	...	180.59
7. जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)	2217	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	20.00	...	20.00
8. शहरी निर्धनों संबंधी राष्ट्रीय कार्यनीति हेतु यूएनडीपी सहायता	2216	5.00	...	5.00	1.10	...	1.10	0.01	...	0.01
9. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)	2052	1.00	...	1.00	1.20	...	1.20	1.00	...	1.00
	3475	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00
	3601	505.00	...	505.00	505.00	...	505.00	505.00	...	505.00
	3602	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
जोड़	515.00	...	515.00	515.20	...	515.20	515.00	...	515.00	
10. हिन्दुस्तान प्रीफेब लिमिटेड	6216	...	1.50	1.50
11. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ की परियोजनाओं/ योजनाओं के संबंध में एकमुश्त व्यवस्था	2552	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
कुल जोड़		850.00	6.50	856.50	670.00	6.89	676.89	850.00	7.97	857.97

* इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 51.50 करोड़ रुपए का आवंटन शामिल है।

ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
आवास और शहरी विकास निगम	22216	...	7769.86	7769.86	...	4176.44	4176.44	...	6729.83	6729.83
ग. आयोजना परिव्यय:-										
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	32052	1.60	...	1.60	0.60	...	0.60	1.00	...	1.00
2. जलापूर्ति और सफाई	22215	150.00	...	150.00	40.03	...	40.03	60.00	...	60.00
3. आवास	22216	118.40	7769.86	7888.26	49.17	4176.44	4225.61	204.00	6729.83	6933.83
4. शहरी विकास	22217	530.00	...	530.00	530.20	...	530.20	535.00	...	535.00
5. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	22552	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
जोड़		850.00	7769.86	8619.86	670.00	4176.44	4846.44	850.00	6729.83	7579.83

1. यह प्रावधान आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय पर होने वाले व्यय के लिए है।

2. भारत सरकार, शुष्क शौचालयों का रूपान्तरण और नए शौचालयों के निर्माण के लिए कम लागत वाला सफाई कार्यक्रम नामक केन्द्र प्रायोजित योजना के जरिए सफाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को

सहायता प्रदान करती है।

3. यह प्रावधान राष्ट्रीय भवन संगठन के लिए है जो आवास के संबंध में कारगर प्रबंधन सूचना प्रणाली और आंकड़ा बैंक की स्थापना के कार्य में संलग्न है।

4. इसमें केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी आवास कल्याण संगठन को अंशदान, भवन सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद को सहायता, एन सी एच एफ को

अंशदान, कोमनवेल्थ लोकल गवर्नमेंट फोरम को वार्षिक सदस्यता शुल्क दिया जाने वाला योगदान शामिल है।

5. यह प्रावधान विभिन्न शहरों में भवन केन्द्रों की स्थापना के लिए है।
6. यह स्कीम आश्रय स्थल अधिगृहीत करने हेतु शहरी गरीबों को ऋण आदि पर ब्याज सब्सिडी मुहैया कराने हेतु है।
7. इसमें जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के लिए शहरी विकास योजनाओं (सीडीपी); ब्यौरे वार परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) आदि को तैयार करने से संबंधित प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति

करने के लिए प्रावधान है।

8. यह प्रावधान यूएनडीपी सहायता प्राप्त कार्यक्रम "शहरी निर्धनों हेतु राष्ट्रीय कार्य नीति" के लिए है।
9. इसमें स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना की स्कीम के लिए प्रावधान है, जिसका उद्देश्य शहरी बेरोजगार तथा अर्द्ध-बेरोजगार गरीब लोगों के लिए लाभदायक रोजगार प्रदान करना है।
11. यह प्रावधान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/ योजनाओं के लिए है।